

छात्रवृत्ति
प्रशासनिक
5/9/14

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेंजीडेंसी क्षेत्र

क्रमांक एफ 9 (4) () छात्र/अ.पि.व./ब.घो./सा.न्या.अ.वि./2012-13/44700-990 जयपुर, दिनांक 14-8-2014

1. उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सान्याअवि (समस्त).....
2. प्राचार्य, राजकीय..... पोलीटेक्निक महाविद्यालय ~~दारा अम्बेडकर~~
3. प्राचार्य..... राजकीय मेडिकल महाविद्यालय.....
4. प्राचार्य, राजकीय..... महाविद्यालय.....

विषय :- अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति
योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 में लम्बित समस्त आवेदन
पत्रों को खारिज कर निस्तारण करने के संबंध में।

उक्त विषयान्तर्गत अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के आवेदकों के वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अभाव में जिला कार्यालयों में 2009-10 से 2013-14 तक के समस्त लम्बित आवेदन पत्रों को खारिज करने का सक्षम स्तर पर निर्णय लिया गया है।

अतः अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक के आपके कार्यालय/शिक्षण संस्था के स्तर पर लम्बित समस्त आवेदन पत्रों को खारिज किया जाकर निस्तारण किया जावे।

(अम्बरीष कुमार)
निदेशक

क्रमांक एफ 9 (4) () छात्र/अ.पि.व./ब.घो./सा.न्या.अ.वि./2012-13/44991-45062 जयपुर, दिनांक 14-8-2014
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर
3. निदेशक (प्रशिक्षण), तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर
4. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल, जयपुर
5. जिला कलक्टर (समस्त).....
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त), जिला परिषद,
7. ए.सी.पी./प्रोगामर, मुख्यावास को भेजकर लेख है कि Rajpms पोर्टल पर अन्य पिछडा वर्ग के संस्था एवं स्वीकृत अधिकारी के स्तर पर लम्बित समस्त आवेदन पत्रों को उपरोक्तानुसार ऑनलाईन निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे।

14/8/2014
(डॉ. हरसहाय मीणा)
अतिरिक्त निदेशक
(अ.जा.ज.जा. कल्याण)